शपथ पत्र को छोडकर शेष सभी मूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र उसी दिन सत्यापन के बाद वापस कर दिये जायेंगे। ध्यान रखें कि निश्चित समय व तिथि पर उपस्थित न होने वाले अथवा उक्त समय व तिथि को प्रवेश की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा। विलम्ब से आने पर आपके अनुरोध पर ही अथवा प्रवेश की औपचारिकताऍ बाद में पूर्ण करने पर उस समय उपलब्ध सीटों के आधार पर ही आपके प्रवेश पर विचार किया जा सकता है। आपके द्वारा आवेदन पत्र में जाति/शैक्षिक अर्हता/अधिभार/ विकलांगता/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/प्रतिरक्षा वर्ग आदि की स्थिति आदि से सम्बन्धित दी सूचनाओं तथा प्रवेष पत्र पर मुद्रित सूचनाओं के आधार पर औपबन्धिक रूप से यह पत्र निर्गत किया जा रहा है। किसी भी सूचना/सूचनाओं के असत्य होने पर आपका प्रवेश अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा। कृपया ध्यान रखें कि आपके वर्ग में प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रहते हैं तो स्थान की उपलब्धता तथा आपकी प्रतीक्षा सूची क्रमांक के आधार पर आपके प्रवेश पर विचार किया जायेगा एवं आपके वर्ग में रिक्त स्थानों की समाप्ति होते ही प्रतीक्षा सूची से प्रवेश की प्रक्रिया रोक दी जायेगी। इस प्रवेश काउन्सिलिंग में भाग लेने हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्रो0 (पी0के0 पाण्डेय)
प्रभारी निदेशक, शिक्षाविद्याशाखा,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

बी.एड._विशिष्ट शिक्षा (दो वर्ष छः माह दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम) के अध्ययन केन्द्रों में उपलब्ध रिक्त स्थानों का विवरण

क्र. सं.	अध्ययन केन्द्र	कोड	कुल रिक्त स्थान
1.	विकलांग केन्द्र, इलाहाबाद (मानसिक मंदता)	S-951	03 **(01 Open + 02 OBC)**
2.	चेतना, लखनऊ (मानसिक विकलांगता)	S-956	01 **(OBC)**
3.	टी. डी. कालेज (विकलांग पुनर्वास केन्द्र) जौनपुर, (मानसिक विकलांगता)	S-959	26 **(21 Open + 05 OBC)**
4.	पूर्वांचल खादी ग्रामोद्योग विकास समिति झूँसी, इलाहाबाद (श्रवण विकलांगता)	S-961	08 **(Open)**

नोट– अध्ययन केन्द्र का आवंटन अभ्यर्थी के वर्ग में सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

संलग्नकों की जाँच सूची :

1		हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल प्रमाण–पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति
2		हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति
3		इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति
4		स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल प्रमाण–पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति
5		स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति
6		स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति (यदि लागू हो)
7		मूल जाति प्रमाण–पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति (यदि लागू हो)
8		मूल विकलांगता प्रमाण–पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति (यदि लागू हो)
9		मूल अधिभार सम्बन्धी प्रमाण–पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति (यदि लागू हो)
10		बी.एड. विशिष्ट शिक्षा प्रवेश परीक्षा 2016 का मूल प्रवेश पत्र
11		प्रारुप के अनुसार शपथ पत्र
12		प्रवेश काउन्सिलिंग का यह पत्र
13		काउन्सिलिंग शुल्क धनराशि रु. 200/– (सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए), रु. 100/– (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए) की रसीद
14		कार्यक्रम शुल्क धनराशि रु. 12,000/– (रुपये बारह हजार) का बैंक ड्राफ्ट जो कि वित्त अधिकारी, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के नाम से देय होगा।
15		पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटो

बी. एड. विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वांछित सूचनाएं

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा)

अनुक्रमांक (Roll No.)	वर्ग(Category)	उपवर्ग (यदि कोई हो) (Sub Category if any)	जन्म तिथि (DoB)	फोटो (Photo) नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करें
पुरुष / महिला (Gender)	धर्म (Religion)	राष्ट्रीयता (Nationality)	ग्रामीण / शहरी (Rural / Urban)	

	हिन्दी में	अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में (In Capital Letters)
पूर्ण नाम		
पिता का पूर्ण नाम		
माता का पूर्ण नाम		
पत्र–व्यवहार का पूर्ण पता		

मोबाइल	**दूरभाष**	**ई–मेल**

शैक्षिक योग्यता

क्रमॉक	परीक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय	संस्था	अनुक्रमॉक	वर्ष	श्रेणी एवं प्रतिशत	विषय
1.	हाईस्कूल						
2.	इण्टरमीडिएट						
3.	बी.ए. / बी.एस–सी. / बी.काम.						
4.	एम.ए. / एम.एस–सी. एम.काम.						
5.	अन्य कोई डिग्री / डिप्लोमा						

प्रवेश फीसः बैंक ड्राफ्ट का विवरण

Reg. No. :
ड्राफ्ट नं. :
शुल्क :
बैंक का नाम एवं शाखा :
दिनांक :

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि –

1- इस प्रपत्र में दी गई समस्त सूचनाएँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

2- मैंने उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के बी.एड. विशिष्ट शिक्षा (दो वर्ष छः माह दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम) में प्रवेश की अर्हता सम्बन्धी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है तथा मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि मैं बी.एड. विशिष्ट शिक्षा प्रवेश हेतु अर्ह हूँ। यदि भविष्य में यह ज्ञात होता है कि मैं प्रवेश हेतु अर्ह नही था / थी तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा स्वयं का होगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा व मेरे द्वारा जमा शुल्क की समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा जमा की गई किसी भी धनराशि को विश्वविद्यालय से वापस पाने का मैं कोई दावा नहीं करूँगा / करूँगी।

3- अध्ययन केन्द्र हेतु मेरे द्वारा दी गई वरीयताएँ एवं अध्ययन केन्द्रों में उपलब्ध स्थानों तथा मेरे वर्ग के आधार पर मेरे श्रेष्ठता क्रमॉक के अनुरूप मुझे अध्ययन केन्द्र आवंटित किया जायेगा। मैं अच्छी तरह से समझता / समझती हूँ कि अध्ययन केन्द्र की मेरे द्वारा दी गई वरीयताएँ पर्याप्त न होने पर मुझे प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

दिनाँक

For Office use only	Checked and found complete in all respects.
	1. 2. 3. (Please put Signatures and Date)

विशेष दिशा निर्देश

1- ध्यान रखें कि निश्चित समय व तिथि पर उपस्थित न होने वाले अथवा उक्त समय व तिथि को प्रवेश की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण न करने वाले अथवा रिक्त स्थान पूर्ण हो जाने पर अभ्यर्थी का प्रवेश अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा।

2- विलम्ब से आने पर आपके अनुरोध पर ही उस समय उपलब्ध सीटों के आधार पर आपके प्रवेश पर विचार किया जा सकता है।

3- काउंसलिंग शुल्क (रु. 200/— सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, रु. 100/— अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए) नकद

4- कार्यक्रम शुल्क धनराशि रु. 12,000/— (रु. बारह हजार मात्र) काउंसलिंग मे सम्मिलित होने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के नाम देय होगा।

5- अभ्यर्थी को अपने साथ सभी मूल अंक—पत्रों/प्रमाण—पत्रों/प्रपत्रों आदि के साथ सभी की प्रमाणित छाया प्रतियॉ तथा अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज के दो फोटो भी लाना है।

6- शपथ पत्र को छोडकर शेष सभी मूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र उसी दिन सत्यापन के बाद वापस कर दिये जायेंगे।

7- अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप पर नोटरी द्वारा सत्यापित 10 रू. के नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र को साथ लाना है।

8- निर्धारित प्रारूप पर मूल जाति प्रमाण—पत्र व मूल विकलांगता प्रमाण—पत्र (यदि लागू हो) की छाया प्रतियॉ भी लानी हैं।

9- अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियो का जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के तहसीलदार/ अपर जिलाधिकारी/ जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप पर निर्गत होना चाहिए।

10- अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी क्रीमीलेयर में न आने का नवीनतम प्रमाण पत्र लेकर आयें जो काउन्सिलिंग तिथि से छः माह से पुराना नहीं होना चाहिए।

11- विकलांग अभ्यर्थी अपने साथ उत्तर प्रदेश के किसी जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत मूल विकलांगता प्रमाणपत्र अवश्य लायें जिसमें 40% से अधिक विकलांगता प्रमाणित की गयी हो।

12- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने की स्थिति में उसका प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने पर आपके प्रवेश पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।

13- प्रतिरक्षा श्रेणी के अन्तर्गत आने का प्रमाण—पत्र सरकारी प्रारूप पर प्रस्तुत न करने पर आपके प्रवेश पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।

14- शैक्षिक अर्हता तथा लागू होने पर जाति प्रमाण—पत्र व विकलांगता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करने पर आपके प्रवेश पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।

15- विवाह के कारण उपनाम (सरनेम) में आये परिवर्तन की स्थिति में विवाह प्रमाणपत्र की मूल प्रति एवं सत्यापित छायाप्रति तथा शपथपत्र साथ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

16- अपने द्वारा प्रस्तुत सभी प्रपत्रों पर अपना पूर्ण हस्ताक्षर अवश्य करें।

बी0एड0(विशिष्ट शिक्षा), कार्यक्रम हेतु

नोट :– निम्न शपथ–पत्र प्रारूप को रू.10 / –के नान ज्यूडिशियल शपथ–पत्र पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें। जो लागू न हो उसे काट (X) दिया जाय।

शपथ–पत्र का प्रारूप

समक्ष,

समन्वयक, बी0एड0(विशिष्ट शिक्षा) प्रवेश परामर्श समिति
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद।

मै शपथपूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि–

1. मैने ....विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा वर्ष ....में ....प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की है।

2. मैने ....विश्वविद्यालय से परास्नातक परीक्षा वर्ष ....में ....प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की है।

3. मै उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के बी.एड.(विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह हूँ। यदि भविष्य में यह ज्ञात होता है कि मै प्रवेश हेतु अर्ह नहीं था / थी तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं का मेरा होगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा व मेरे द्वारा जमा शुल्क की समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा जमा की गयी किसी भी धनराशि को विश्वविद्यालय से वापस पाने का मैं कोई दावा नहीं करूँगा / करूँगी।

4. बी0एड0.(विशिष्ट शिक्षा) सत्र 2016–17 में प्रवेश हेतु मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचनाऐं मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

दिनॉक :

शपथकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर
स्पष्ट शब्दों में नाम व पूर्ण पता

प्रमाण–पत्र

(प्रतिरक्षा कर्मचारी एवं उनके पुत्र / पुत्री / पत्नी के लिए प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कु. / श्रीमती / .... एक प्रतिरक्षा अधिकारी है, जिनका रैंक ....है तथा नम्बर ....है जो कि सक्रिय सेवारत है अथवा सक्रिय सेवारत थे और अपंग हो गये अथवा ससम्मान सक्रिय सेवा से अवकाश प्राप्त किया। श्री / कु. / श्रीमती..इनके पुत्र / पुत्री / पत्नी है।

ऑफिसर कमाण्डेन्ट अथवा सेक्रेटरी सोल्जर्स
बोर्ड के हस्ताक्षर एवं मोहर

दिनॉक :........................ अधिकारी का पूरा नाम :...

प्रमाण–पत्र
(जाति प्रमाण–पत्र)

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तहसीलदार / अपर जिलाधिकारी / जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे।

नोट : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं के लिए निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगें। (केन्द्रीय सेवाओं के लिये निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगे)

<u>प्रमाण–पत्र</u>

(स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित पुत्र या पुत्री या पुत्र का पुत्र या पुत्र की अविवाहित पुत्री से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु.*.......................... पुत्र/पुत्री श्री ....

निवासी .... स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री/श्रीमती **....................

निवासी .... का आश्रित*** .... है।

डी.एम. / ए.डी.एम
हस्ताक्षर एवं मोहर सहित

दिनॉक :........................ अधिकारी का पूरा नाम :..

नोट – साथ में जिलाधिकारी प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं पेंशन पुस्तिका की सत्यापित फोटोकापी भी अवश्य संलग्न करें ।

* यहाँ आश्रित का नाम लिखा जाये ।
** यहाँ स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखा जाये ।
*** यहाँ स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित के साथ सम्बन्ध लिखा जाये ।
डी.एम. या ए.डी.एम. का प्रमाण पत्र आवश्यक है ।

<u>प्रमाण–पत्र</u>

(प्रतिरक्षा कर्मचारी के आश्रितों के लिये प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./ श्रीमती .... श्री ....

रैंक .... नम्बर ....की

पुत्र /पुत्री / पत्नी है जो प्रतिरक्षा सक्रिय सेवा में अथवा युद्ध के समय लापता हो गये ।

ऑफिसर कमाण्डेन्ट अथवा सेक्रेटरी सोल्जर्स
बोर्ड के हस्ताक्षर एवं मोहर

दिनॉक :........................ अधिकारी का पूरा नाम :..